

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड II में प्रकाशनाथ)

सं. 13017/33/2013-अ.भा.से.-।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 4 मई, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा त्रिपुरा और कर्नाटक राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा सुश्री तनुश्री देब बर्मा, आईएएस (टीआर:06) को 25.05.2017 से अगले दो वर्ष की अवधि के लिए त्रिपुरा संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में वैयक्तिक आधार पर अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

(उदय भान सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)।